–चवालीस–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 <u>संख्या क0नि0–5–3730 / ग्यारह–2004–500(85)–2003</u> लखनऊ, दिनांक 06 जुलाई, 2004 अधिसूचना आदेश

प0आ0-239

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियमण 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय द्वारा प्रशासित औद्योगिक आस्थानों की भूमि या शेड युक्त भूमि के सम्बन्ध में पट्टाकर्ता के रूप में राज्यपाल द्वारा पट्टेदार के रूप में आवंटिती के पक्ष में निष्पादित पट्टे के लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को, ऐसी धनराशि, जो निम्नलिखित से अधिक हो, पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक कम करते हैं :—

(1) जहाँ कि पट्टा 30 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से अनधिक अवधि (1) प्रतिफल की ऐसी कम जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के लिए तात्पर्यित हैं। या मूल्य के दस गुने के बराबर हो।

(2) जहाँ कि पट्टा 100 वर्ष से अधिक अविध के लिए या शाश्वता के (2) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे भाटक की, जो पट्टे के प्रथम 50 वर्ष की बाबत लिए तात्पर्यित है।

पूरी रकम के तीसरे भाग के बराबर हो।

(3) जहाँ कि पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है। (3) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो प्रथम 10 वर्ष के लिए

उस दशा में दिया जायेगा या परिदत्त किया

जायेगा जिसमें कि पट्टा उस अवधि तक

चालू रहता, रकम या मूल्य के बराबर हो।

(4) जहाँ कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये (4) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या धन के लिए मंजूर किया गया है और जहाँ कोई भाटक आरक्षित नहीं है अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित हो,

और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं हैं।

बराबर हो।

(5) जहाँ कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अविध के लिए तात्पर्यित है। (5) पट्टों की मिन्न–मिन्न अवधि के सम्बन्ध में, यथास्थिति खण्ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखित रकम के अतिरिक्त, प्रतिफल की रकम, जो ऐसे नजराने या ग्रीमियम या अग्रिम हन की रकम या मुख्य के, जो पट्टों में उपवर्णित है, बराबर हो।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट रीता सिन्हा, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-3730/XI-2004-500(85)-2003, dated July 06, 2004 for general information:

No. K.N. 5-3730/XI-2004-500(85)-2003 Lucknow, Dated July 06, 2004 Notification Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on instruments of lease executed by the Governor as Lessor relating to the land or the land with shed which is belonging to the Industrial Estate, administered by the Directorate of Industries and under control of the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh in favour of the allottee as Lessee, to the extent of the duty chargeable on the amount that exceeds,-

- Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding one hundred years,
- (2) where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity,
- (3) where the lease does not purport to be for any definiate term,
- the amount of consideration equal to ten times
 of the amount or value of the average annual rent
 reserved.
- (2) the amount of consideration equal to one third of the whole amount of rent which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease,
- (3) the amount of consideration equal to three times of the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years, if the lease continued so long,

- (4) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved and purports to be for a term not exceeding thirty years,
- (5) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved and purports to be for a term exceeding thirty years,
- (4) the amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease,
- (5) the amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the amount mentioned in respect of different terms of leases, in clauses (i), (ii) or (iii) as the case may be.

By order, Sd/- Illegible RITA SINHA, Pramukh Sachiv.